HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 1161/2023

Ahnaf Ali S/o Insaf Ali

----Petitioner

Versus

Aparna Arora

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Siddharth Bapna, Adv. Mr. Nitin Jain, Adv. Mr. Banwari Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. G. S. Gill, AAG with Mr. Manoj Choudhary, Adv. Mr. Peeyush Samariya, Distt. Collector-Kota Present-in-person Mr. Rajveer Yadav, Tehsildar-Ladpura, Kota Present-in-person

---

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

03/11/2025

दिनांक 09.10.2025 के आदेश की पालना में वर्तमान में पदस्थापित श्री पीयूष समारिया, जिलाधीश कोटा तथा श्री राजवीर यादव, तहसीलदार–लाडपुरा, कोटा उपस्थित।

विपक्षी क्रम–1 अपर्णा अरोड़ा तथा विपक्षी क्रम–2 भरत यादव की ओर से पूर्व में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस. गिल द्वारा वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा था, लेकिन अब उनका निवेदन है कि पक्षकार की ओर से उन्हें पैरवी के कोई निर्देश नहीं है, इसलिए वकालतनामा पेश करने में असमर्थ है।

आई.ए. 6/25 विपक्षी क्रम–1 से 3 की ओर से प्रस्तुत करना उल्लेखित किया है परंतु विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का निवेदन है कि यह टंकणीय

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

त्रुटि है तथा विपक्षी क्रम–3 की ओर से इस आवेदन को प्रस्तुत होना माना जावे। आई.ए. 6/25 के माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 19.02.2003 तथा 22.05.2013 इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई है, उसके साथ स्थगन आवेदन भी पेश किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में पालना हेतु युक्तियुक्त समय दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा राजस्व मण्डल के अंतिम आदेश दिनांक 22.05.2013 के 12 वर्ष पश्चात् चुनौती दी गई है। उनके द्वारा रिट याचिका में उपस्थिति दी जा चुकी है, लेकिन यह रिट याचिका अवधि–बाधित है, मात्र आदेश की पालना नहीं करने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है। उनका यह भी निवेदन है कि उपरोक्त रिट याचिका में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ है तथा यदि कोई आदेश इस न्यायालय द्वारा पलटा जाता है तो राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि उसी अनुसार पुनः बदली जा सकती है, अंत में अपालना का कोई कारण उचित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध अवमानना की कठोर कार्यवाही करने का निवेदन किया।

पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 09.10.2025 में यह टिप्पणी की गई है कि राज्य सरकार के दायित्वाधीन अधिकारियों की सतत् निष्क्रियता रही है तथा 12 वर्ष तक आदेश की पालना नहीं किया जाना ना केवल अवमानना है, बल्कि न्यायालय के आदेश के प्रति अनादर रखते हुए हठधर्मिता का आचरण है परंतु इसके बावजूद भी चूंकि विपक्षीगण द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत की गई है, अतः तीन सप्ताह के लिए कोई स्थगन आदेश प्राप्त होना है तो उसके लिए अवसर दिया जाता है। तीन सप्ताह में कोई स्थगन आदेश नहीं होने पर आदेश की

पालना आवश्यक रूप से की जावे, अन्यथा पुनः वर्तमान जिलाधीश तथा तहसीलदार व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित रहे।

विपक्षी क्रम–1 व 2 पर नोटिस तामील हो रखे हैं, किंतु वे उपस्थित नहीं है। आगामी पेशी तक स्थगन आदेश नहीं होने तथा पालना नहीं होने की स्थिति में विपक्षी क्रम–1 व 2 को जमानती वारण्ट से तलब किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रकरण दिनांक 16.12.2025 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /69